संख्या- 46 /2026 / 246 /चार-2026- 1895681

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2026**

विषय:- 16 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2026 के अवसर पर दिनांक 25 जनवरी, 2026 को राज्य स्तरीय समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4023/सं0नि0-19 (मतदाता दिवस)/2025-26 दिनांक 17 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-17/सीईओ-6-60/6-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2026 के क्रम में अवगत कराया गया है कि 16 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2026 हेतु दिनांक 25 जनवरी, 2026 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अलग-अलग क्षेत्रों के 04 सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुति कराया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का विवरण एवं अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्ययों का विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

मतदाता दिवस के अवसर पर प्रतिभागी कलाकरों के मानदेय एवं किराया पर व्यय							
क्र0	दल प्रमुख का नाम	मोबाईल नं०	विधा का नाम	संख्या	मानदेय	किराया	कुल योग
1	सुश्री राधा प्रजापति, झांसी।	8545928737	राई लोकनृत्य	15	40000	30000	70,000
2	श्री उमेश कनौजिया, आजमगढ़।	8052188624	धोबिया लोक नृत्य	15	40000	20000	60,000
3	श्री महिपाल, मथुरा।	9634245038	बम रसिया	15	40000	30000	70,000
4	डॉ० करूणा शंकर, लखनऊ।	9839232349	कठपुतली	10	15000	0	15,000
			योग	55	135000	80000	2,15,000

क्र.सं.	विवरण	धनराशि
1	कलाकारों के मानदेय एवं किराया पर अनुमानित व्यय	2,15,000.00
2	कलाकारों के आवास एवं भोजन पर अनुमानित व्यय (लगभग 55 कलाकार 02 दिवस)	1,90,000.00
3	कलाकारों का स्थानीय यातायात पर व्यय	50,000.00
4	कलाकारों हेतु पानी/ चाय एवं अन्य प्रकीर्ण व्यय	15,000.00
	योग (रूपये चार लाख सत्तर हजार मात्र)	4,70,000.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार 16 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2026 के अवसर पर दिनांक 25 जनवरी, 2026 को राज्य स्तरीय समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों के मानदेय हेतु **रू0 2.15 लाख (रूपये दो लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) कलाकारों का मानदेय शासनादेश की दरों पर अनुमोदित किया गया है। अन्य व्यय निर्वाचन विभाग द्वारा व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(9) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।